



भारत सरकार / Government of India
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/ Ministry of Social Justice &
Empowerment
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with
Disabilities, Govt. Of India



पाँचवा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन/ 5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003/ CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone No. 011-24369054, Email ID: vineet.singhal17@gov.in, anita.meena13@nic.in

संदर्भ: 18-20/2024-डीडी-III/एनएफ

दिनांक 4 जुलाई, 2024

सार्वजनिक सूचना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि' के तहत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक एसटीईएम (साइंस, टेक नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथ्स) विषयों में 100% दृष्टिहीन और 100% बधिर (कोक्लियर इंप्लांट के बिना) छात्रों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

पात्रता मानदंड	<ul style="list-style-type: none">यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन करने वाले कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक एसटीईएम विषयों में अद्ययनरत 100% दृष्टिहीन और 100% बधिर (कोक्लियर इंप्लांट के बिना) छात्र।सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक।
वित्तीय सहायता की सीमा	<ul style="list-style-type: none">प्रति वर्ष प्रति छात्र रु. 1.5 लाख या वास्तविक, जो भी कम हो।
आवेदन कैसे करें:	<ul style="list-style-type: none">पात्र और इच्छुक छात्र डीईपीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी राष्ट्रीय संस्थान / समेकित क्षेत्रीय केंद्र में अपने विधिवत भरे हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

नोट: निर्धारित आवेदन पत्र, पात्रता शर्तों और अपेक्षित दस्तावेजों जैसे अधिक विवरण के लिए, आवेदक विभाग की वेबसाइट <https://depwd.gov.in/national-fund-under-pwds/> पर देख सकते हैं।

(निदेशक)
डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई,
भारत सरकार

CBC 38117/11/0009/2425